177

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 403/1994 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 28—01—1994 के द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 39/1992—93/विविध

.....

रामेश्वर (मृतक) वारिसानः—
1— महिला विशुनादेवी विधवा रामेश्वर
2— वीरेन्द्र सिंह पुत्र रामेश्वर,
3— रामेन्द्र सिंह पुत्र रामेश्वर
4— श्रीगोविन्द पुत्र रामेश्वर
5— मंशाराम पुत्र रामेश्वर
नबालिक व सरपरस्ती मां स्वयं विशुनादेवी
विधवा रामेश्वर, निवासीगण —ग्राम ढोंचरा,
तहसील व जिला—भिण्ड

.....आवेदकगण

विरूद्ध

रामभरोसे पुत्र मोहनलाल
निवासी—ग्राम ढोंचरा, तहसील व जिला—भिण्ड

.....अनावेदक

.....

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 20.9.2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 39/1992—93/विविध में पारित आदेश दिनांक 28—01—1994 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में यह है कि आवेदक रामेश्वर द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड के आदेश दिनांक 13.03.92 के विरूद्ध अपील न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग,

मुरैना के समक्ष प्रस्तुत की गई । उक्त अपील में नियत दिनांक 05.03.93 को आवेदक अथवा उसके अभिभाषक के अनुपस्थित रहने के कारण प्रकरण उक्त दिनांक को अदम पैरवी में खारिज किया गया । जिसको पुनः नम्बर पर लेने हेतु आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में संहिता की धारा 1959 की धारा 35(3) के अंतर्गत आवेदन पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर बताया कि नियत दिनांक 05.03.93 के पूर्व 10.02.93 के पूर्व आवेदक की मृत्यु हो गई थी एवं ओलावृष्टि भी हुई थी, जिसके कारण आवेदक के वारिसान द्वारा नियत दिनांक को न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके । किन्तु अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा इस बिन्दु पर ध्यान न देते हुये दिनांक 28.01.94 को आदेश पारित कर आवेदक के द्वारा प्रस्तुत आवेदन–पत्र को निरस्त कर दिया गया । इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक के द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि आवेदकगण ने पुर्नस्थापना के आवेदन–पत्र में आवेदक रामेश्वर की अनुपस्थिति का कारण, उसकी तारीख पेशी से पूर्व दिनांक 10.02.93 को मृत्यु हो जाना बताया है तथा वर्तमान में आवेदकगण, जो मृतक रामेश्वर के वारिसान है, ने पेशी दिनांक 05.03.93 को अपनी अनुपस्थिति होने कारण रामेश्वर की मृत्यु से उपजे दुःख एवं उस दिन हुई ओलावृष्टि का होना बताया है, जो आकस्मिक होकर सद्भाविक है । आवेदक रामेश्वर के वारिसान को अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना ने भी न्यायालय में उपस्थित होना आवश्यक नहीं था, मान्य किया है । इसके बावजूद भी प्रकरण को पुर्नस्थापित नहीं किया गया, जो त्रुटिपूर्ण है । आवेदक के अभिभाषक द्वितीय व्यवहार न्यायालय वर्ग–2, भिण्ड में पेशी में व्यस्त हो जाने से पुकार के समय अपर आयुक्त के न्यायालय में उपस्थित न होने का कारण अपने प्रार्थना–पत्र में बताया है । जिसकी पुष्टि आवेदक क्र0 1 विशुनादेवी ने अपने शपथ–पत्र द्वारा किया है । आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्क में यह भी बताया कि किसी भी अभिभाषक का अन्य न्यायालय में व्यस्त हो जाने के कारण, उसका पुकार के समय संबंधित न्यायालय में उपस्थित न हो पाना, कोई असामान्य बात नहीं है, जिसे जानबुझकर की गई उपेक्षा नहीं कहा जा सकता है । अभिभाषक की अनुपस्थिति पर उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिये । अभिभाषक की त्रुटि के कारण पक्षकार को दण्डित किया जाना न्यायोचित नहीं है । आवेदकगण ने अपने पुर्नस्थापन के आवेदन में जो आधार बताये है, उनकी पुष्टि शपथ–पत्र द्वारा की गई है, जिस पर विश्वास न करने का कोई कारण नहीं है । किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन बिन्दुओं की अनदेखी कर

आदेश पारित कया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है ।

5/ मेरे द्वारा आवेदक के अभिभाषक के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीस्थ न्यायालय के अभिलेख का भलीभांति परिशीलन किया गया। प्रकरण अदम पैरवी में खारिज होने के पूर्व दिनांक 26.02.93 को नियत था और आवेदन–पत्र में दर्शाये अनुसार आवेदक की मृत्यु दिनांक 10.02.93 को हो गई थी, किन्तु दिनांक 05.03.93 प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया गया था। चूँकि आवेदक की मृत्यु प्रकरण अदम पैरवी में खारिज होने के पूर्व हो चुकी थी। इसके अतिरिक्त आवेदक की मुत्यु उपरांत उसके वारिसान को रिकार्ड पर लाने की कार्यवाही प्रकरण में नहीं हुई है । क्योंकि आवेदक के वारिसान को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक नहीं था । प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक उपस्थित होते रहे है, और उन्हीं के हस्ताक्षर नियत दिनांक के पूर्व की दिनांक 26.02.93 की ऑर्डरशीट के कॉलम नं. 3 में अंकित है । अभिभाषक की अनुपस्थिति हेतु आवेदन–पत्र में जो कारण दर्शाया है, वह पर्याप्त कारण नहीं है । इसी आधार पर अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा जो आदेश पारित किया है वह गलत नहीं है । मैं अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के आदेश से सहमत हूँ ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष में पहूँचा हूँ कि अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.01.1994 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है । फलतः आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर